अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

U/s 145 Cr.P.C.(BNSS-164)

वाद संख्या–68/2017

घनश्याम तियु, पिता–स्व० बुआएं राम तियु, निवासी ग्राम–छनकाटा, पोस्ट+थाना–सोनुआ, जिला–पश्चिमी सिंहभूम।	–बनाम–	सेलाय हेम्ब्रम एवं अन्य, पिता–स्व० तापु हेम्ब्रम, निवासी ग्राम–छनकाटा, पोस्ट+थाना–सोनुआ, जिला–पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	आदेश	अभ्युक्ति

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही घनश्याम तियु, पिता–स्व० बुआएं राम तियु, निवासी ग्राम–छनकाटा, पोस्ट+थाना–सोनुआ, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के लिखित आवेदन पत्र के आलोक में प्रतिवादी (1) सेलाय हेम्ब्रम (2) गुरूवा हेम्ब्रम (3) बैछुआ हेम्ब्रम, सभी के पिता–स्व0 तापु हेम्ब्रम, निवासी ग्राम–छनकाटा, पोस्ट+थाना–सोनुआ, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध विधि–व्यवस्था/शांति–व्यवस्था कायम रखने के निमित दं०प्र०सं० की धारा–145 (164 BNSS) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिस वाद सं0–68/2017, दिनांक 13.11.2017 को प्रारंभ की गई।

भूमि की विवरणी

क्र०सं०	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चौहद्दी
1	छनकाटा	548	58	12	0.12 डि0	उ0–सबना द0–राम राय
				13	0.54 डि0	उ0–निज द0–अनाबाद
				78	0.40 डि0	उ0–निज द0–अनाबाद
				81	0.15 डि0	उ0–निज द0–निज
				82	0.04 डि0	उ0–निज द0–निज
				83	1.39 डि0	उ0–निज द0–निज
				87	0.47 डि0	उ0–निज द0–निज
					3.11 डि0	
			59	79	2.96 डि0	उ0–निज द0–निज
					6.07 डि0	

उक्त के आलोक में दिनांक 15.12.2017 को उभय पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

<u>वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वादी का पक्ष निम्नवत् रखा गया :–</u>

वाद भूमि वादी के पिता स्व0 बुआएं राम तियु द्वारा निबंधित केवाला संख्या–1892 वर्ष 1977 के माध्यम से क्रय किया गया था। क्रय करने के पश्चात इनके द्वारा विवादित भूमि पर दखल–कब्जा स्थापित कर लिया। तत्पश्चात् वादी के पिता के नाम से नामांतरण भी हो गया है। वादी के पिता

बुआएं राम तियु की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र (वादी) को वाद सम्पत्ति विरासत में मिली और उसमें धान और अन्य फसलें उगाकर प्रश्नगत भूमि का कब्जाधारी बन गया।

वर्ष 2017 में बरसात के मौसम में वादी ने विवादित भूमि पर धान की खेती करना चाहा, जहाँ पर वे पूर्व से खेती कर रहे थे। इसी क्रम में खेत की जुताई के पश्चात् वे धान की फसल रोपाई के लिए खेत में गए तो प्रतिवादीगण के द्वारा घातक हथियार लेकर वादी को विवादित भूमि में खेती करने से मना कर दिया।

चूँकि पूर्व में भी अप्रिय घटना घटित हो चुकी थी इसलिए वादी शिकायत दर्ज कराने सोनुआ थाना गए। पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित करने के निमित Cr.P.C. की धारा 144 के तहत् कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुमण्डल न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन कुछ कारणों से कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। प्रतिवादीगण की ओर से भूमि के उल्लंघन की आशंका तनावपूर्ण और गम्भीर है, प्रतिवादीगण की ओर से वादी को लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं एवं प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज विवादित भूमि को वादी के पूर्वज को बेच दिया है। वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि दं0प्र0सं0 की धारा 145 (164 BNSS) के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रतिवादी को प्रश्नगत् भूमि पर जाने से रोक लगाने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

<u>प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी का पक्ष निम्नवत् रखा गया :–</u>

प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में लिखित कथन दाखिल कर बताया गया है कि यह कार्यवाही पुलिस द्वारा प्रस्तुत गैर F.I.R. के आधार पर शुरू की गयी है। वास्तव में विवादित भूमि का स्वामित्व प्रतिवादीगण के पास है। विवादित भूमि पर वादी अनावश्यक अधिकार जमाना चाहते हैं, जबकि वह जानता है कि विवादित भूमि का स्वामित्व प्रतिवादीगण के पास है। खतियानी रैयत मधु हेम्ब्रम, कुनी कुई एवं मुस्मात जानो कुई के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है, जो प्रतिवादीगण के पूर्वज हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण विवादित भूमि का वैधिक उत्तराधिकारी है। वादी प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से विवादित भूमि पर दावा कर रहे हैं।

उक्त के आलोक में वादी के वाद पत्र को खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

<u>गवाहों का मुख्य परीक्षण / प्रतिपरीक्षण</u> :–

<u>**घनश्याम तियु (प्रथम पक्ष)**</u>:– प्रथम पक्ष के गवाह घनश्याम तियु जो इस वाद में वादी भी हैं, के द्वारा बताया गया कि यह वाद भूमि विवाद से संबंधित है। विवादित भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में उनके पिता–बुआएं राम तियु के नाम से दर्ज है। वर्ष 2018–19 का मालगुजारी रसीद उनके द्वारा दिया गया है।

<u>**तुराम तियु (प्रथम पक्ष)**</u>:–यह वाद भूमि से संबंधित है। मुख्य परीक्षण के कण्डिका 05 में बताया गया है कि वाद भूमि वादी के पिता बुआएं राम तियु ने खरीदा था। कण्डिका 08 में बताया गया है कि वाद भूमि का नामांतरण वादी के पिता बुआएं राम तियु के नाम से हो चुका है। कण्डिका 10 में बताया गया

है कि वाद भूमि पर वादी घनश्याम तियु खेती करता है। कण्डिका 13 में बताया गया है कि वाद भूमि का मालगुजारी वादी घनश्याम तियु देता है। कण्डिका 15 में बताया है कि प्रतिवादीगण ने कभी भी वाद भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया है।

<u>सेलाय बानरा (प्रथम पक्ष)</u>:–यह वाद भूमि से संबंधित है। उनके द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि को 40 वर्ष पूर्व विक्रेता जानो कुई एवं कुनी कुई ने बुआएं राम तियु को बेचा है, जिसमें इनके द्वारा ठेपा किया गया है।

<u>लाल सिंह बानरा (द्वितीय पक्ष)</u>:–यह वाद भूमि से संबंधित है। गवाही के मुख्य परीक्षण के कण्डिका 06 में बताया गया है कि तकरारी जमीन हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में प्रतिवादी के वशंज के नाम पर दर्ज होकर है, जिसका मालगुजारी प्रतिवादी ही अदा करते हैं। कण्डिका 07 में बताया गया है कि तकरारी जमीन पर प्रतिवादीगण के द्वारा मुकदमा से पूर्व भी खेती किया जाता रहा है और अभी भी खेती किया जा रहा है। कण्डिका 10 में बताया गया है कि प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, प्रतिवादी का ही कब्जा पूर्व से और अभी भी द्वितीय पक्ष का ही कब्जा है।

<u>सेलाय हेम्ब्रम (द्वितीय पक्ष)</u>:– द्वितीय पक्ष के गवाह सेलाय हेम्ब्रम जो इस वाद में प्रतिवादी भी हैं, के द्वारा गवाही के मुख्य परीक्षण के कण्डिका 06 में बताया गया है कि तकरारी जमीन हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में इनके वंशज के नाम पर दर्ज होकर है, जिसका मालगुजारी भी इनके द्वारा ही अदा किया जाता है। कण्डिका 07 में बताया गया है कि तकरारी जमीन पर इनके द्वारा मुकदमा से पूर्व भी खेती किया जाता रहा है, और अभी भी खेती किया जा रहा है। कण्डिका 10 में बताया गया है कि वे विवादित भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। मुकदमा से पूर्व भी इनका दखल–कब्जा था और अभी भी है।

<u>राम सिंह बानरा (द्वितीय पक्ष)</u>:–यह वाद भूमि से संबंधित है। गवाही के मुख्य परीक्षण के कण्डिका 06 में बताया गया है कि तकरारी जमीन हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में प्रतिवादी के वशंज के नाम पर दर्ज होकर है, जिसका मालगुजारी प्रतिवादी ही अदा करते हैं। कण्डिका 07 में बताया गया है कि तकरारी जमीन पर प्रतिवादीगण के द्वारा मुकदमा से पूर्व भी खेती किया जाता रहा है और अभी भी खेती किया जा रहा है। कण्डिका 10 में बताया गया है कि प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, प्रतिवादी का ही कब्जा पूर्व से और अभी भी द्वितीय पक्ष का ही कब्जा है।

BNSS की धारा 164 (4) के परंतुक के आलोक में इस वाद की प्रारम्भ की तिथि 23.11.2018 से ठीक दो माह पूर्व वाद भूमि पर वादी का या प्रतिवादी का दखल–कब्जा था, के संबंध में उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता एवं गवाह इसे साबित करने में असमर्थ रहे।

BNSS की धारा 165 (1) में स्पष्ट किया गया है कि यदि धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्टि कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा

विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है।

BNSS की धारा 165 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि–व्यवस्था/शांति–व्यवस्था कायम रखने के निमित अंचल अधिकारी, सोनुआ को वाद भूमि की देखभाल के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है। इस दौरान रिसीवर को मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती है।

BNSS की धारा 165 (2) के परंतुक यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त किया जाता है, तो सिविल न्यायालय द्वारा नए रिसीवर की नियुक्ति के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर (अंचल अधिकारी, सोनुआ) को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वाद भूमि पर उभय पक्षों में से किसी भी पक्ष का दखल–कब्जा प्रतीत नहीं होता है। सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिकार (Title) से संबंधित आदेश आने तक शांति/विधि–व्यवस्था के मद्देनजर यह न्यायालय उभय पक्ष को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है। अंचल अधिकारी, सोनुआ (प्रतिनियुक्त रिसीवर) को आदेश दिया जाता है कि शांति/विधि–व्यवस्था बनाए रखने के निमित विवादित भूमि का देखभाल आप स्वयं करेंगे एवं उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाएंगे।

अतएव इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें।

30/05/25

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.03 12:09:13 +05:30
Location: 10.93.135.130